जंगल पर किया कब्जा, आबादी में भोजन तलाशने को मजबूर जंगली पशु

भोजन की तलाश में आबादी में भटक रही नील गाय

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) अरावली की संरक्षित पहाड़ियों में बढ़ते अतिक्रमण और निर्माण के कारण यहां रहने वाले पशुओं का प्राकृतिक आवास और भोजन का क्षेत्र घटता जा रहा है। भोजन-पानी की तलाश में यह पशु अब आबादी वाले इलाकों में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों सेक्टर 21 में पुलिस आयुक्त कार्यालय के आसपास, मार्बल मार्केट सहित आबादी वाले इलाकों में नीलगायें घूमती देखी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री खट्टर ने फरीदाबाद में पीएलपीए के तहत संरक्षित जमीन के एक बड़े इलाके को इस एक्ट से बाहर किए जाने की सिफारिश केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से की है। उन्होंने पीएलपीए के तहत आने वाले सेक्टर 46, अनंगपुर गांव का इलाका, अनखीर चौक और उसके आसपास का इलाका मुक्त कराने की कवायद शुरू कर दी है। पर्यावरण संरक्षण कार्य कर रहे सुनील हरसाना कहते हैं कि अरावली के पीएलपीए संरक्षित जंगलों में लगातार मानव गतिविधियां जारी हैं। कहीं अवैध खनन हो रहा है तो कहीं जमीन कब्जा करने के लिए पेड़ काटे और जंगल जलाए जा रहे हैं। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण जंगल घटते जा रहे हैं। जंगल घटने से इसमें बसने वाले जंगली पशुओं के लिए भोजन-पानी और आवास के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। जंगल और आबादी के बीच बफर जोन होना चाहिए जो अवैध निर्माण और कब्जों के कारण खत्म हो चुका है। ऐसे में जंगली पशुओं का आबादी के क्षेत्र में दिखाई देना आश्चर्य की बात नहीं है। सुनील हरसाना इसे जंगली पशु और आम आदमी दोनों के लिए खतरनाक मानते हैं। उनके मुताबिक जंगली पशु असुरक्षित महसूस करने पर हमला कर सकते हैं। नीलगाय, बंदर जैसे शाकाहारी पशु भी आम आदमी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अरावली में तेंदुआ, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, सियार जैसे शिकारी पशु भी पाए जाते हैं। इन पशुओं का आबादी में आना खतरनाक है। वह कहते हैं कि सरकार को चाहिए कि पहले जंगलों में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को समाप्त कराए और जंगली पशुओं को उनके नैसर्गिक आवास में लौटाए। जंगल और आबादी के बीच बफर जोन होना चाहिए ताकि सभी अपने अपनी सीमा में सुरक्षित रह सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में नीलगाय ही नहीं खतरनाक जंगली पशु भी आबादी के बीच घूमते दिखाई देंगे।

रेडक्रॉस सोसायटी: कहां गया सामाजिक संस्थाओं से मिला सामान

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) रेडक्रॉस सोसायटी में जन सेवा के नाम पर हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोरोना काल के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन घोटाला ही नहीं हुआ, संस्थाओं से दान में मिला सामान भी गायब कर दिया गया। आरोप तो यह है कि दान में मिले इस सामान का रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया ताकि बाद में गायब करने में आसानी हो।

आरटीआई कार्यकर्ता रविंदर चावला के मुताबिक कोरोना काल की पहली और दूसरी लहर में अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सुविधा के लिए शहर की अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने रेडक्रॉस के जरिए कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर आदि दान किए थे। दान देने वालों में औद्योगिक एसोसिएशन, धार्मिक-सामाजिक संगठनों के अलावा कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से शामिल थे।

दान में मिले सामान का नियमानुसार रेडक्रॉस के स्टॉक रजिस्टर में बाकायदा इंद्राज किया जाना चाहिए था। कौन सा सामान किस संस्था ने कब दिया, सामान ग्रहण करने वाला अधिकारी कौन था इस सब का उल्लेख रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। दान मिलने के बाद इस सामान को इस्तेमाल के लिए किस आइसोलेशन होम, अस्पताल, ब्लड बैंक या संस्था कोजारी किया गया, इसका भी उल्लेख स्टॉक रजिस्टर में बाकायदा होना चाहिए था। बचा हुआ सामान कहां रखा गया उसका भी स्टॉक रजिस्टर में उल्लेख होना चाहिए। रविंदर चावला के मुताबिक कोरोना काल के दौरान रेडक्रॉस सोसायटी को लाखों रुपये से अधिक के उपकरण, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान आदि दान में मिले लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। वर्तमान में दान में मिले सामान का 95 फीसदी गायब हो चुका है। क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया इसलिए ऑडिट में पकड़े जाने का भी सवाल नहीं उठता। जाहिर है लूट कमाई का यह खेल ऊपर से नीचे तक सबकी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। रविंदर चावला का मानना है कि दान में मिले सामान की या तो बंदरबांट हो गई या फिर औने पौने दाम में बेचकर लूट कमाई में सबको हिस्सा दिया गया। इस संबंध में रेडक्रॉस के सेक्रेटरी विजेंद्र सौरोत से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन वह उपलब्ध नहीं हुए। उनका पक्ष मिलने पर प्रकाशित किया जाएगा।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421

नगर निगम में आग लगी तो निकम्मे अधिकारी जिम्मेदार होंगे

बेकार हो रहे अग्निशमन सिलिंडरों की किसी को नहीं सुध

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) लूट कमाई में मस्त नगर निगम के अधिकारियों को न तो सुरक्षा नियमों की चिंता है और न ही नियमों का पालन करने का जज्बा। निगम परिसर को आग से बचाने के लिए जगह जगह लगाए गए अग्निशमन सिलिंडर कब एक्सपायर हुए और कब इन्हें रीफिल किया जाना है इसकी किसी को परवाह नहीं है। कई साल से बिना रीफिलिंग और इंस्पेक्शन के रखे यह सिलिंडर आग बुझा भी पाएंगे यह कहना मुश्किल है।

शहर में होने वाले वैध निर्माण पर भी अग्निशमन व्यवस्था न होने जैसी तरह-तरह की आपत्तियां लगाने वाले नगर निगम अधिकारी खुद को शायद इन नियमों से ऊपर समझते हैं। यही कारण है कि खुद इन नियमों पर अमल नहीं करते। निगम परिसर में आग से सुरक्षा के लिए अग्निशमन सिलिंडर लगाए गए हैं। नियमानुसार इन सिलिंडरों का हर तीन माह पर इंस्पेक्शन होना चाहिए और एक वर्ष बीतने पर टॉपअप या रीफिल किया जाना चाहिए। निगम परिसर में अग्निशमन सिलिंडरों को कब लगाया गया था, इसकी कोई जानकारी इन पर अंकित नहीं है। इंस्पेक्शन की तिथि भी दर्ज नहीं है। सिलिंडरों पर जमी धूल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे अर्से से बिना जांच और इस्तेमाल के ऐसे ही पड़े हैं।

जितेन्द्र दहिया निगमायुक्त आग जल्दी बुझ गयी तो घोटालों की फाइल कैसे जल पायेंगी

नगर निगम के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार दरअसल परिसर में लाखों रुपये खर्च कर अग्निशमन पाइपलाइन डाली जा रही है इसीलिए इन सिलिंडरों के निरीक्षण और रीफिलिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बताते चलें कि पाइपलाइन बिछाने का काम बीते छह महीनों में शुरू हुआ है जबकि यह सिलिंडर यहां एक दशक से भी अधिक समय से रखे गए हैं। हालांकि पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लगेगा। इस बीच यदि आग लगती है तो यह सिलिंडर उस पर काबू पा पाएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। बहुत से कर्मचारियों को तो यह भी नहीं मालूम कि अग्निशमन सिलिंडर कहां रखे गए हैं, और आग लगने की सूरत में उन्हें कैसे ऑपरेट करना है।

2017 में भी अग्निशमन सिलिंडरों के निरीक्षण का मुद्दा उठा था। तब तत्कालीन एसई डीआर भास्कर ने आनन फानन सिलिंडरों का इंस्पेक्शन और रीफिलिंग करवाई थी। उसके बाद इनका निरीक्षण और रीफिलिंग कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। देखना है कि दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत साबित हो रहे निगम अधिकारी कब इन सिलिंडरों को सही करवाएंगे। विदित है कि वित्तीय घोटालों से भरी लेखा शाखा में आग का लगना घोटालेबाजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता रहा है, इसलिए यह अधिकारी नहीं चाहेंगे कि लगाई गई आग जल्दी से बुझ जाए।

"नहीं डरेंगे घुड़की से-खींच लेंगे कुर्सी से"

हरियाणा मिड डे मील, डीटीएच चौकीदार एंड स्वीपर एसोसिएशन की ललकार

सत्यवीर सिंह

'हरियाणा मिड डे मील महिला मज़दूर, डी टी एच चौकीदार एवं सफ़ाई कर्मचारी', मज़दूरों का वह समूह है, जो, देशभर में सबसे ज्यादा शोषण, उत्पीड़न और नौकरी की असुरक्षा झेलने को मजबूर है। देश का कोई भी श्रम क़ानून, इन मज़दूरों के मामले में लागू नहीं होता। हरियाणा प्रदेश के ये लाखों मज़दूर, संविधान के दायरे में क्यों नहीं आते? इनका भारत कब आज़ाद होगा? इनका संविधान कब बनेगा? इन्हें न्यूनतम वेतन से भी क्यों महरूम रखा जाता है? इन सवालों के जवाब हरियाणा सरकार ही दे सकती है, और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए, इस समूह की सैकड़ों महिलाओं ने, बीते दिन लघु सचिवालय पर पहले सभा की, और फिर मुख्यमंत्री हरियाणा को अपना ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन देते वक़्त हुई सभा में बोलते हुए, एसोसिएशन के फ़रीदाबाद ज़िला प्रधान, तेजराम ने बताया कि डीटीएच चौकीदार और सफ़ाई कर्मचारियों को मात्र 7,000 रु मासिक वेतन मिलता है, वह भी कहा तो 'मासिक' जाता है, लेकिन असलियत में मिलता, कई-कई महीने बाद है। जब भी छुट्टियाँ होती हैं, जैसे कि आजकल हैं, उनमें उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। सरकार का मानना शायद ये है कि अगर स्कूल में छुट्टी है, तो काम नहीं है, और काम नहीं है, तो मज़दूर और उसके परिवार को भूख भला क्यों लगेगी!! नवंबर-दिसंबर में भी छुट्टियाँ होने पर कोई पैसा नहीं मिलता। वे कर्मचारी और होते हैं जिनका काम निर्धारित होता है। इस श्रेणी के कर्मचारी से कोई भी काम लिया जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि इन मज़दूरों को 10-10 साल की नोकरी करने पर भी रेगुलर नहीं किया जाता, वे ता-उम्र अस्थायी ही रहते हैं। महिलाओं को प्रसूति अवकाश नहीं मिलता और महीने में एक छुट्टी भी नहीं मिलती।

मिड डे मील वर्कर का काम बच्चों के लिए खाना बनाना है, लेकिन उन्हीं से सारे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है, सफ़ाई कराई जाती है। सफ़ाई कर्मचारी की ड्यूटी कहने को मात्र 2 घंटे की है, लेकिन उनसे दिनभर दूसरा काम लिया जाता है। 'नहीं डरेंगे घुड़की से-खींच लेंगे कुर्सी से' के गूंजते नारों के बीच, उपायुक्त, फ़रीदाबाद की मार्फ़त मुख्यमंत्री, हरियाणा को ज्ञापन सौंपते वक़्त, 'हरियाणा मिड डे मील, डीटीएच चौकीदार एंड स्वीपर एसोसिएशन' ने ऐलान किया कि उनकी जायज मांगें न मानी गईं तो प्रदेश भर में एक साथ तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा।

1) मिड डे मील वर्कर्स, डीटीएच चौकीदार व पार्ट टाइम स्वीपर को न्यूनतम 18,000 रु प्रति माह वेतन दिया जाए.

2) मिड डे मील वर्कर्स, डी टी एच चौकीदार व पार्ट टाइम स्वीपर को 10 वर्ष की सेवा के पश्चात रेगूलर कर दिया जाए.

3) स्कूल वर्कर्स को छुट्टियों का वेतन दिया जाए.

4) स्कूल वर्कर्स को वर्ष में 12 अवकाश अवश्य दिए जाएं.

5) मिड डे मील वर्कर्स को फ़रीदाबाद के कुछ राजकीय विद्यालयों में स्कूल गेट पर चौकीदारी करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है. वर्कर्स को गेट पर चौकीदार की तरह ना खड़ा किया जाए. यह उनकी ड्यूटी नहीं है.

6) महिला वर्कर्स को प्रसूति अवकाश दिया जाए.